सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03

बुधवार, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.57 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही राजद को छोड़ कर विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यगण महामहिम राज्यपाल के बर्खास्तगी की मांग को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से कहा गया कि आप अपने स्थान पर जाकर अपनी बात को कहेंगे तभी आसन संज्ञान लेगा । साथ ही कहा गया कि राज्यपाल विधायिका के अंग हैं और उनके खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं है ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए ।

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा गया कि आप लोग जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहें हैं, वह प्रशंसनीय है । यह लोक तंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादा पूर्वक अपनी बातों को सदन में रखते हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार शत-प्रतिशत प्रश्नों के जवाब मिल रहें हैं यह विधायिका, कार्यपालिका और करोड़ों बिहारवासियों के लिए गर्व का विषय है । इसकी सकारात्मक चर्चा और प्रचार होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती हैं । हमारा नैतिक कर्त्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों को होना चाहिए । सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है और लोग हमसे पूछते हैं । आप सब लोगों के समय और विश्वास पर हम खड़े उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े यह हमारी ही जिम्मेवारी नहीं बल्कि हम सबों की जिम्मेवारी है । हम शेर की सवारी कर रहे हैं, राजनीति पूरी तरह शेर की सवारी है । जबतक आप नैतिक मूल्यों पर जनता के विश्वास पर राजहित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे तबतक आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी । हम इससे भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा । संविधान की गरिमा गिर जाएगी, हम सब तार-तार हो जाएंगे । सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मापदण्ड स्थापित करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन करें । सत्ता पक्ष हो या विपक्ष थोड़ी सी शालिनता और मर्यादा को बनाए रखें । जितने भी विधायक हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और सबकी मर्यादा बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है ।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 180 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11 के निस्तारण के दौरान सरकार के उत्तर से प्रश्नकर्त्ता सदस्य के साथ साथ पूरा सदन असहमत था और उक्त विषय पर सदन की कमिटी से जांच कराने की मांग एक स्वर में उठ रही थी ।

पूरे सदन की भावना को देखते हुए आसन द्वारा सदन की कमिटी बना कर उक्त विषय की जांच कराने की घोषणा की गई । साथ ही कहा गया कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से जुड़े मामले को यह सदन गंभीरता से लेगा और यह आश्वस्त करते हैं कि इस तरह के मामले जो प्रमाण के साथ आएंगे तो सदन इसपर बहुत गंभीरता से विचार करेगा ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध सभी अल्पसूचित प्रश्न एवं तारांकित प्रश्नों के शत्-प्रतिशत उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं ।

तारांकित प्रश्नों के उत्तर के क्रम में दूसरे क्रम पर सूचीबद्ध माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार सिंह जो सप्तदश बिहार विधान सभा में पहली बार निर्वाचित हुए हैं तथा विधान सभा में यह उनका पहला प्रश्न था इसके लिए आसन द्वारा उन्हें बधाई दी गई साथ ही आसन ने सदन से अनुरोध किया कि अगर सदन की सहमति हो तो क्रमांक-227 पर सूचीबद्ध माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह जो सप्तदश बिहार विधान सभा में पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं को उनके क्रमांक से उपर श्री राजेश कुमार सिंह के बाद प्रश्न पूछने दिया जाय, आगे भी नये सदस्यों को इसी प्रकार अवसर मिलते रहे । आसन के अनुरोध पर सदन की इसपर सहमति हुई । साथ ही सदन का आभार व्यक्त करते हुए दलीय नेताओं से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने दल से पहली बार निर्वाचित हुए माननीय सदस्यों को सदन में होने वाले वाद-विवाद एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें ।

प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाईन उत्तर देखने में हो रही परेशानी से आसन को अवगत कराया गया जिस पर आसन द्वारा कहा गया कि बिहार विधान सभा की वेबसाईट पर QRMS पद्धति उपलब्ध है । इसमें सभा सचिवालय का भी सहयोग आपके द्वारा लिया जा सकता है ।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव** :-

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री मनोज मंजिल, श्री राम रत्न सिंह, डॉ० सत्येन्द्र यादव, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महा नंद सिंह, श्री अजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अख्तरूल ईमान, श्रीमती विभा देवी, श्री मो० कामरान, श्री समीर कुमार महासेठ, श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुधाकर सिंह, श्री विजय कुमार मण्डल, श्री भरत बिन्द, श्रीमती संगीता कुमारी एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[3] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल प्रारंभ होते ही माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा बिहार विधान मंडल के परिसर में माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा एक माननीय सदस्य पर किये गए अलोकतांत्रिक एवं असंसदीय भाषा के प्रयोग की चर्चा आसन के समक्ष की गयी ।

आसन द्वारा कहा गया कि कल हमने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है जिसमें इस विषय पर चर्चा की जाएगी ।

(i)	श्री सुर्यकान्त पासवान	(ii)	श्री राम रतन सिंह
(iii)	श्री मो० कामरान	(iv)	श्री कुंदन कुमार
(v)	श्री ललन कुमार	(vi)	श्री अनिल कुमार
(vii)	श्री विद्या सागर केशरी	(viii)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(ix)	श्रीमती शालिनी मिश्रा	(x)	श्री मिथिलेश कुमार
(xi)	श्री बीरेन्द्र कुमार	(xii)	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी
(xiii)	श्री मनोज कुमार यादव	(xiv)	श्रीमती विभा देवी
(xv)	श्री महा नंद सिंह	(xvi)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xvii)	श्री अवध बिहारी चौधरी	(xviii)	श्री राज कुमार सिंह
(xix)	श्री प्रणव कुमार	(xx)	श्री मुकेश कुमार यादव
(xxi)	श्री रामबलि सिंह यादव	(xxii)	श्री अरूण सिंह
(xxiii)	श्री अख्तरूल ईमान	(xxiv)	श्री इजहारूल हुसैन
(xxv)	श्री समीर कुमार महासेठ	(xxvi)	श्री डॉ० सत्येन्द्र यादव
(xxvii)	श्री अजय कुमार	(xxviii)	श्री भीम कुमार सिंह
(xxix)	श्री मनोज मंजिल	(xxx)	श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल'
(xxxi)	श्री आलोक कुमार मेहता	(xxxii)	श्री पंकज कुमार मिश्र
(xxxiii)	श्री अजीत कुमार सिंह	(xxxiv)	श्री सत्यदेव राम
(xxxv)	श्री इसराईल मंसूरी	(xxxvi)	श्री निरंजन राय
(xxxvii)	श्री संदीप सौरभ	(xxxviii)	श्री राकेश कुमार रौशन
(xxxix)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	(xl)	श्री भरत बिन्द
(xli)	श्री मो० अनजार नईमी	(xlii)	श्री कुमार शैलेन्द्र
(xliii)	श्री ऋषि कुमार	(xliv)	श्री युसुफ सलाहउद्दीन
(xlv)	श्री विनय कुमार	(xlvi)	श्रीमती मंजू अग्रवाल
(xlvii)	श्री मुरारी मोहन झा	(xlviii)	श्री भूदेव चौधरी
(xlix)	श्री महबूब आलम	(l)	श्री राम विशुन सिंह
(li)	श्री विजय कुमार	(lii)	श्री मुकेश कुमार रौशन
(liii)	श्री रणविजय साहू	(liv)	श्री पवन कुमार यादव
(lv)	श्री राजवंशी महतो	(lvi)	श्री मिश्री लाल यादव
(lvii)	श्रीमती वीणा सिंह	(lviii)	श्री सुदामा प्रसाद
(lix)	श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन	(lx)	श्री गोपाल रविदास
(lxi)	श्रीमती रश्मि वर्मा		

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा एक तात्कालिक विषय पर अपनी सूचना सदन को दी गई ।

आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार, श्री बीरेन्द्र कुमार, श्री अरूण सिंह एवं श्री अजीत कुमार सिंह को उनके संक्षिप्त शून्यकाल सूचना के लिए धन्यवाद दिया गया ।

[4] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग श्री जयन्त राज द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा एवं अन्य सभासदों का पर्यटन / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय वित्त मंत्री के सदन से अनुपस्थित रहने के कारण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को कल दिनांक-02 दिसम्बर, 2021 को सभा मेज पर रखा जायेगा ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.40 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] **विधायी कार्य :-**

राजकीय विधेयक :-

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021''

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरज कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजीत शर्मा, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुए तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-02 दिसम्बर, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-01.12.2021

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।